B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 1(d)
Topic - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009**
(Right to Edcuation Act-2009)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 90

Continued from previous lecture....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की विशेषताएँ
(Characteristics of Right to Education Act-2009)

10. **कोई कैपिटेशन शुल्क अथवा टेस्ट प्रक्रिया नहीं** - अध्याय-IV की धारा-13(1) के अधीन विद्यालय या व्यक्ति बच्चे के दाखिले के रूप में अभिभावकों से कोई Capitation शुल्क वसूल नहीं करेगा। यदि धारा-13(1) की उल्लंघन की जाती है तो धारा-13(2)(a) के अधीन ऐसी स्थिति में वसूली गई राशि का 10-गुणा जुर्माना किया जाएगा तथा टेस्ट प्रक्रिया के लिए ₹ 25,000 जुर्माने की व्यवस्था है।

11. **दाखिले की आयु का प्रमाण-पत्र** - अध्याय-IV की धारा-14(1) के अधीन बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के दाखिले का लिए योग्य अधिकारी द्वारा जारी जन्म-तिथि का प्रामाण-पत्र दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा-14(2) के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी विद्यार्थी द्वारा जन्म-तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र न होने पर दाखिले के लिए इन्कार नहीं किया जा सकता।

12. **पिछली कक्षा में रोकने एवं निकालने की मनाही** - अधिनियम की धारा-16 के अनुसार किसी भी बच्चे को पिछली कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा ना ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निकाला जाएगा।

13. **शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना पर रोक** - अध्याय-IV की धारा-17(1) के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड तथा मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। जो कोई भी धारा-17(1) का उल्लंघन करता है उसके विरूद्ध सेवा-नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

14. **विद्यालय को मान्यता प्रमाण-पत्र** - धारा-18(1) के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद योग्य/सामर्थ्य अधिकारी से मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय नहीं खोला जा सकता। धारा-18(2) के अधीन सामर्थ्य अधिकारी किसी विद्यालय को प्रमाण-पत्र देने से पूर्व इस बात की जाँच करेगा की विद्यालय नियमानुसार स्थापित है या नहीं। यदि कोई विद्यालय नियमों का उल्लंघन करता है तो धारा-18(3) के अनुसार विद्यालय की मान्यता रद्द किए जाने की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय चलाता है तो धारा-18(5) के अधीन उसपर ₹1,00,000 जुर्माना किया जा सकता है। यदि वह फिर भी विद्यालय चलाता है तो उसे प्रतिदिन ₹ 10,000 के अनुसार जुर्माना किए जाने की व्यवस्था है।

(समाप्त)